

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संचिका सं०- 02/भू0अ0नि0 (4) गैर योजना (आवंटन)-01/2025.....5963

प्रेषक,

जे० प्रियदर्शिनी, मा० प्र० से०
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

उप निदेशक,
बिहार सर्वेक्षण कार्यालय,
गुलजारबाग, पटना - 7
अवर सचिव-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
भू-अभिलेख एवं परिमाण
बिहार, पटना।

पटना दिनांक :- 28/08/25

विषय :- विपत्र कोड - 40-2029001030001 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि आपके कार्यालय व्यवहारार्थ वेतनादि मद एवं वेतनादि मद से भिन्न मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत निम्न ईकाई कोड के अन्तर्गत निम्न रूप में राशि आवंटित की जाती है :-

क्र०सं०	विषय शीर्ष	विषय शीर्ष का ब्यौरा	भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय	बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग	कुल राशि
1	2	3	4	5	6
1	01 01	वेतन	55,00,000	3,06,05,600	3,61,05,600
2	01 03	जीवन यापन भत्ता	31,90,000	1,89,75,472	2,21,65,472
3	01 04	मकान किराया भत्ता	11,00,000	61,21,120	72,21,120
4	01 05	परिवहन भत्ता	4,50,000	16,13,520	20,63,520
5	01 06	चिकित्सा भत्ता	1,00,000	5,00,000	6,00,000
6	01 07	अन्य भत्ता	50,000	1,63,333	2,13,333
10	13 01	कार्यालय व्यय	—	26,66,667	26,66,667
12	13 03	दुरभाष	—	1,00,000	1,00,000
13	13 04	विधुत प्रभार	—	10,00,000	10,00,000
14	13 05	विधि प्रभार	—	66,667	66,667

क्र०सं०	विषय शीर्ष	विषय शीर्ष का ब्यौरा	भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय	बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग	कुल राशि
15	13 10	भाड़े की गाड़ी का भुगतान	—	4,00,000	4,00,000
16	14 01	किराया महसूल एवं कर	—	2,00,000	2,00,000
17	21 01	सामग्री एवं पूर्तियाँ	—	64,00,000	64,00,000
18	28 02	संविदा सेवाएँ	40,00,000	24,00,000	64,00,000
कुल योग :-			1,43,90,000	7,12,12,379	8,56,02,379

(आठ करोड़ छप्पन लाख दो हजार तीन सौ उनासी रुपये मात्र)

- यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
- अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या -40 एवं विपत्र कोड 40-2029001030001 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
- आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
- बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
- इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
- उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की माँग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

11. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

विश्वासभाजन


26/8

(जे० प्रियदर्शिनी)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण
पटना दिनांक 28/08/2025

ज्ञापांक - 02/भू०अ०नि० (4) गैर योजना (आवंटन)-01/2025.....5963

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


26/8

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण
पटना दिनांक 28/08/2025

ज्ञापांक - 02/भू०अ०नि० (4) गैर योजना (आवंटन)-01/2025.....5963

प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


26/8

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण
पटना दिनांक 28/08/2025

ज्ञापांक - 02/भू०अ०नि० (4) गैर योजना (आवंटन)-01/2025.....5963

प्रतिलिपि :- श्रीमती सरीता कुमारी, प्रोग्रामर आई०टी सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार, पटना को विभागीय वेबवार्ड पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।


26/8

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण